

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-4/रजीगृ/जीव विज्ञान/स्थानान्तरण/2019-20 दिनांक: 29.09.2019 के तहत श्रीमती अर्चना व्यास, व्याख्याता, जीव विज्ञान राबाउमावि ह्यूसन मण्डी, जोधपुर का स्थानान्तरण राउमावि रूडकली, जोधपुर एवं श्रीमती शीलू व्यास, व्याख्याता, जीव विज्ञान राउमावि रूडकली, जोधपुर से राबाउमावि ह्यूसन मण्डी, जोधपुर किया गया। श्रीमती अर्चना व्यास द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या 15374/2019 अर्चना व्यास बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य दायर की गई।

जिस पर माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15.10.2019 द्वारा स्थगन दे दिया गया। इस प्रकार राबाउमावि ह्यूसन मण्डी, जोधपुर में दोहरा पदस्थापन हो गया। दोहरे पदस्थापन के व्याख्याताओं को दिनांक 13.11.2019 को निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में बुलाया गया। न्यायालय स्थगन के कारण श्रीमती अर्चना व्यास को यथावत रखते हुए श्रीमती शीलू व्यास, व्याख्याता, जीव विज्ञान का समायोजन उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सहमति के आधार पर राउमावि रूडकली, जोधपुर में किया जाता है।

संबंधित संस्था प्रधान इनको अविलम्ब शालादर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाए, जाना सुनिश्चित करें।



(नथमल डिडेल)

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,

बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/दोहरा पदस्थापन/2019-20 दिनांक : 18.11.19

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :-

1. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि प्रकोष्ठ, जयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) जयपुर
3. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजि
8. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने वाबत।
9. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर